डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुज्ञप्ति अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम. पी. 2-डब्ल्यू-पी/505/2000.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन एम. पी. 108/भोपाल/2000.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 446] भोपाल, बुधवार, दिनांक 12 जुलाई 2000—आषाढ़ 21, शक 1922

तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2000

क्र. एफ. 1-35-2000-बयालीस-1.—यत: राज्य सरकार की राय में यह आवश्यक हो गया है कि:—

(एक) कर्मचारियों के कतिपय प्रवर्गों में कतिपय रिक्तियां अल्प समय के भीतर भरी जाएं;

(दो) कतिपय स्थानों पर पदस्थापना को टालने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए कर्मचारियों के इन प्रवर्गों को संविदा आधार पर, विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए नियुक्त किया जाए,

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, तकनीकी शिक्षा तथा जनशक्ति नियोजन विभाग के अधीन सेवा के कतिपय प्रवर्गों पर संविदा आधार पर भरती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

नियम

1. संक्षिप्त नाम, प्रवृत्ति तथा प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा, पालीटेकनिक (अध्यापन संवर्ग) (संविदा सेवा) (नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) नियम, 2000 है.

(2) किन्हीं अन्य नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ये नियम संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के ऐसे प्रवर्गों को लागू होंगे, जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा समय-समय पर, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए जाएं.

(3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) किसी पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है संबंधित प्रवर्ग के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;

(ख) "ए.आई.सी.टी.ई." से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्;

(ग) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(घ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है संबंधित प्रवर्ग के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की समिति.

3. वेतन.—किसी पद का वेतन उतना होगा, जैसा कि उक्त पद के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाए.

4. नियुक्ति का तरिका.—(1) अनुसूची में उल्लिखित पदों के प्रवर्गों पर समस्त नियुक्तियां, अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली चयन समिति द्वारा सिफारिश के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी.

(2) अभ्यर्थी के पास आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को, अनुसूची में यथा उपबंधित शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव होना चाहिए.

(3) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन मानदण्ड.—

पदों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अनुपात में अंक दिए जाएंगे:—

(एक) प्राध्यापक/प्रोग्रामर/सहायक कर्मशाला अधीक्षक,

(क) विहित अर्हता	60 (अधिकतम) (न्यूनतम अर्हता में अभिप्राप्त अंकों के अनुपात में)
(ख) एमई/एम.टेक/एम.फिल अधिक	10 अंक
(ग) पी.एच.डी. उपाधि	10 अंक
(घ) न्यूनतम अपेक्षित से भिन्न अनुभव (एक अंक प्रतिवर्ष)	05 अंक
(ङ) साक्षात्कार	15 अंक

(दो) प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/कर्मशाला अधीक्षक/टीपीओ/सिस्टम एनेलिस्ट (इंजीनियरिंग/प्रोद्योगिकी)टेक्नालाजी.

(क) विहित अर्हता	70 (अधिकतम) (न्यूनतम अर्हता में अभिप्राप्त अंकों के अनुपात में)
(ख) पी.एच.डी. उपाधि	10 अंक
(ग) न्यूनतम अपेक्षित से भिन्न अनुभव (एक अंक प्रतिवर्ष)	05 अंक
(ङ) साक्षात्कार	15 अंक

(तीन) विभागाध्यक्ष (विज्ञान तथा मानविकी)

(क) विहित अर्हता	80 (अधिकतम) (न्यूनतम अर्हता में अभिप्राप्त अंकों के अनुपात में)
(ख) न्यूनतम अपेक्षित से भिन्न अनुभव (एक अंक प्रतिवर्ष)	05 अंक
(ग) साक्षात्कार	15 अंक

(4) समिति, अभ्यर्थी के अपने शैक्षणिक कैरियर में प्रदर्शन अर्थात् उसके द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा अन्य वृत्तिक क्षेत्र आदि में प्रदर्शन और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर, जिसके लिए अंक दिए जाएंगे, अपना मूल्यांकन करने के पश्चात् अपनी सिफारिशें करेगी और ऐसे अंकों के 15 प्रतिशत से अनधिक अंक उसके वैयक्तिक साक्षात्कार में प्रदर्शन के लिए दिए जाने चाहिए.

(5) ऐसे चयन द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां, समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करने के पश्चात् ही भरी जाएंगी.

(6) भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के कम से कम तीन गुनी संख्या में अभ्यर्थियों को चयन के लिए साक्षात्कार में बुलाया जाएगा.

5. पदावधि.—(1) संविदा आधार पर इस प्रकार नियुक्त किए गए किसी कर्मचारी की पदावधि 3 वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए होगी. ऐसी कालावधि के अवसान पर नियुक्ति स्वत: समाप्त हो जाएगी.

(2) तथापि कोई व्यक्ति, यदि वह चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाया जाए तो नए सिरे से संविदा पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा. ऐसा व्यक्ति नई नियुक्ति पर ऐसे वेतन के लिए, जो वह अपनी पिछली नियुक्ति के दौरान प्राप्त कर रहा था, एक वेतनवृद्धि के साथ हकदार होगा.

6. आयु.—न्यूनतम तथा अधिकतम आयु ऐसी होगी जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाए.

7. अन्य शर्तें.—(1) इन नियमों के अधीन कोई नियुक्ति, प्रवर्ग में रिक्त पद के विरुद्ध ही की जाएगी;

स्पष्टीकरण.—रिक्त पद से अभिप्रेत है उस प्रवर्ग में रिक्त पद और उसमें ऐसा पद सम्मिलित है जिसके एक वर्ष से अधिक की लगातार कालावधि के लिए रिक्त बने रहने की संभावना है.

(2) इन नियमों के अधीन विभिन्न पदों पर नियुक्तियां आरक्षण के लिए विधि या नियमों द्वारा शासित होंगी, जैसे :—

(क) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंध के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पद आरक्षित रखें जाएंगे. इस प्रयोजन के लिए रोस्टर राज्य स्तर पर रखा जाएगा.

(ख) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा.

(ग) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण सरकार के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा.

(3) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 द्वारा शासित होगा.

(4) इन नियमों के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति, पेंशन तथा उससे संबंधित फायदों के लिये हकदार नहीं होगा.

(5) इन नियमों के अधीन सेवाएं, दोनों में से किसी भी एक ओर से एक मास की सूचना द्वारा या उसके बदले में एक मास का वेतन देकर, पदावधि के अवसान के पूर्व किसी भी समय समाप्त की जाएंगी.

(6) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, वैसी ही चिकित्सीय सुविधाओं तथा यात्रा भत्तों का हकदार होगा, जो कि समतुल्य वेतन पाने वाले राज्य के अन्य कर्मचारियों को अनुज्ञेय हैं.

(7) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, ऐसे भविष्य निधि फायदों का भी हकदार होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अवधारित किया जाए.

(8) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, एक वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिन की ऐच्छिक छुट्टी का हकदार होगा, किन्तु वह किसी अन्य प्रकार के अवकाश या दीर्घावकाश का हकदार नहीं होगा.

(9) संविदा नियुक्ति एक विशिष्ट संस्था के लिए ही होगी.

(10) संविदा नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी, ए.आई.सी.टी.ई. सन्नियमों के अनुसार उच्चतर अर्हता के लिए प्रोत्साहन हेतु पात्र होगा.

(11) सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि उसके नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	21.	टी. पी. ओ.						
	22.	वर्कशॉप अधीक्षक						
	23.	फूड टेक्नोलॉजी						
	24.	गारमेंट टेक्नोलॉजी						
	25.	ब्यूटी कल्चर						
	26.	टैक्सटाइल डिजाईन						
	27.	सिस्टम एनॉलिस्ट						
तीन		प्राध्यापक	रु. 8000-275-13500/- (ए.आई.सी.टी.ई.)	22	51	इंजीनियरिंग/टेक्नॉलॉजी की उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक की डिग्री.	1. प्राचार्य, इंजीनियरिंग महाविद्यालय—अध्यक्ष (डी. टी. ई. द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा).	संचालक, तकनीकी शिक्षा
	1.	सिविल इंजीनियरिंग					2. प्राचार्य—सदस्य, पालीटेकनिक (नियमित)	
	2.	मैकेनिकल इंजीनियरिंग				मानविकी तथा विज्ञान के अध्यापन पदों की समुचित शाखा में प्रथम श्रेणी में मास्टर डिग्री.	3. प्राचार्य—सदस्य पालीटेकनिक (डी.टी.ई. द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा).	
	3.	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग					4. दो विषय—सदस्य विशेषज्ञ (एक्सपर्ट) (डिवीजन के बाहर)	
	4.	इलेक्ट्रॉनिक्स तथा टेलीकम्युनिकेशन (टेली-कम्युनिकेशन)						
	5.	आर्किटेक्चर						
	6.	खनन इंजीनियरिंग						
	7.	खान सर्वेक्षण						
	8.	मेटलर्जी						
	9.	फार्मेसी						
	10.	कम्प्यूटर एप्लीकेशन						